

## आदेश-पत्रक

(दिखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 139)

आदेश पत्रक ता० ..... तक

वाद सं०-40/2020

केस का प्रकार - अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत।

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
28.09.2020	<p>पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 5963/सी०आ०, दिनांक 26.09.2020 द्वारा (संलग्न अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बायसी के पत्रांक 1400 दिनांक 24.09.2020) अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया।</p> <p>उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी नितेश साह, पिता-दीलिप साह, सा०-मटवैली, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णिया एक कुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है तथा इसका एक संगठित गिरोह है। वर्तमान में ये जेल से बाहर हैं। इसकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। वर्तमान में इनका क्रियाकलाप बहुत ही संदिग्ध है। इससे आगामी विधानसभा चुनाव वर्ष 2020 के अवसर के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।</p> <p>इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. डगरूआ थाना कांड संख्या-250/2018 दिनांक-04.12.2018, धारा-392 भा०द०वि०</li> <li>2. डगरूआ थाना सनहा संख्या-221/2020 दिनांक-11.09.2020</li> </ol> <p>अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बायसी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा इस अपराधकर्मी के गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया गया है।</p> <p>विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार से स्पष्ट होता है कि उक्त अपराधकर्मी पर मात्र एक काण्ड दर्ज है। फलतः अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत विपक्षी के विरुद्ध कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार नहीं बनता है।</p> <p>चूँकि थानाध्यक्ष, डगरूआ / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बायसी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा विपक्षी की गतिविधि संदिग्ध</p>	



बताई गई है तथा यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि विधानसभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर उनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी पर निर्वाचन के दौरान निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

अतः धानाध्यक्ष, डगरुआ को निदेश दिया जाता है कि नितेश साह, पिता-दीलिप साह, सा0-मटवैली, धाना-डगरुआ, जिला-पूर्णिया पर विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निगरानी रखेंगे। यदि इनके द्वारा शांति भंग या अन्य आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बायसी तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्णिया।

जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्णिया।

आपक 2489 दिदि पूर्णिया, दिनांक 30-9-20

प्रतिविधि :- धानाध्यक्ष, डगरुआ को सूचना एवं अनुपालनायक प्रेषित।

प्रतिविधि :- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिविधि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को सादर सूचना प्रेषित।

30/9/20  
वरीय उपसमाहर्ता  
जिला विधि शाखा  
पूर्णिया